

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक- 1701/11-सी-FP/UP/Pipeline/122517/2021, लखनऊ, दिनांक: दिसम्बर 07, 2021

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय: जनपद सम्मेलन में टोरेन्ट गैस प्रा0लि०, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-चन्दौरी मार्ग (एन०एच०-509) किमी० चैनैज 34.100 से 41.150 तक बॉयी पटरी एवं किमी० चैनैज 45.600 से 45.750 तक दौयी पटरी पर 6" डाया स्टील गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 0.4323 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
प्रस्ताप सं०- FP/UP/Pipeline/122517/2021

सन्दर्भ: उ०प्र० शासन की पत्र सं०-पी-162/81-2-2021-800(141)/2021, दिनांक-24.08.2021
महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद ने अपने पत्रांक-1664/14-1 दिनांक 22.11.2021 द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि संलग्न है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बि०द्वारा अनुपालन आख्या ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर संलग्नक सहित दो प्रतियों इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रतार कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

15
(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 1701/11-सी-FP/UP/Pipeline/122517/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नालिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी, सम्मेलन वन प्रभाग, सम्मेलन।
- 3- मैनेजर, टोरेन्ट गैस, प्रा०लि०, 1 फ्लोर, प्राईडल स्क्वायर बिल्डिंग, देहली रोड, मुरादाबाद।

o/c

18
(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।